(70)

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की दिनांक 21.5.2002 को आयोजित 41 वीं कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण।

दिनांक 21.05.2002 को परिषद की कार्यकारी समिति की 41 वीं बैठक माननीय श्री बाला बच्चन, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में मंत्रालय, वल्लभ भवन कक्ष क्रमांक 520 में पूर्वान्ह 11 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित माननीय सदस्य उपस्थित रहेः-

1. 2.	श्री विनोद चौधरी, प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
3.	श्रीमति शिखा दुबे संचालक, उद्योग संचानालय, भोपाल (प्रतिनिधि)	सदस्य
4.	डॉ. एस. एम. भाटिया संचालक, तकनीकी शिक्षा, म. प्र. तकनीकी शिक्षा संचालनालय	सदस्य
5.	डॉ. संतोष कुमार कुलपति, हरि शंकर गौड़ विश्वविद्यालय, सागर	सदस्य
6.	श्री रमेश अग्रवाल अध्यक्ष, भास्कर समूह, भोपाल	सदस्य
7.	श्री हीरा लाल गेहलोत उत्कृष्ट कृषक तहसील ग्राम पंचायत साली, राजपुर, जिला बड़वानी	सदस्य
8.	प्रो. एच. पी. गर्ग महानिदेशक, म. प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल	संयोजक

डॉ. आर. के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि. एवं प्रौद्यो. परि., भोपाल

(71)

सर्वप्रथम महानिदेशक, म. प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय तथा उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरांत कार्यसूचियों पर चर्चा आरम्भ हुई।

कार्यसूची क्रमांक - 1 : 40 वीं कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि एवं पालन प्रतिवेदन।

(1) कार्यकारी समिति की 39 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन कार्यसूची क्रमांक - 9

म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संक्षेपिका का परीक्षण किया गया है एवं इस संबंध में विभाग द्वारा पत्र भेजा जा रहा है। पत्र प्राप्त होने पर परिषद द्वारा कार्यवाही की जावेगी।

(2) सेवा भर्ती नियमों में आंशिक संशोधन बाबत् कार्यसूची क्रमांक - 4

म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संक्षेपिका का परीक्षण किया गया है एवं इस संबंध में विभाग द्वारा पत्र भेजा जा रहा है। पत्र प्राप्त होने पर परिषद द्वारा कार्यवाही की जावेगी।

(3) विभागीय अमले का पुनर्गठन एवं 30 प्रतिशत पदों की कमी के संबंध में कार्यसूची क्रमांक - 5

41 वीं कार्यकारी समिति की कार्यसूची क्रमांक 9 में समिति के अभिमत को व्यक्त किया गया है।

(4) सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र में कार्यरत वैज्ञानिकों/कार्टोग्राफर्स के वेतन भुगतान बाबत् कार्यसूची क्रमांक - 6

समिति द्वारा निर्देशित किया है कि वित्त विभाग द्वारा चाही गई जानकारी एक माह के अन्दर प्रेषित की जावे।

(5) भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान के संबंध में कार्यसूची क्रमांक - 7

समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यवाही पूर्ण की जावे।

(6) महानिदेशक को निःशुल्क सुसज्जित आवासीय सुविधा के संबंध मे कार्यसूची क्रमांक - 8

समिति अवगत हुई।

डॉ. आर. के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

72

(7) परिषद् के वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 के अंकेक्षित लेखों का अनुमोदन।

समिति द्वारा निर्देशित किया गया है कि सी. जी. एम. द्वारा अनुमोदित अंकेक्षकों की सूची अनुसार अंकेक्षक की नियुक्ति की जाये।

(8) रायपुर प्रकोष्ठ का परिषद् में संविलियन ।

समिति द्वारा प्रस्ताव विलोपित किया गया।

विशेष कार्यसूची -

(1) टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में प्रथम तल का निर्माण व श्री सी.बी. कांड की सेवायें सलाहकार के रूप में लेने बाबत् कार्यसूची कमांक - 1

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि आवश्यकतानुसार सलाहाकार की सेवाएं महानिदेशक द्वारा ली जा सकती है एवं आगामी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है।

(2) विंश्वविद्यालयों में परिषद् सेल स्थापित करने हेतु कार्यसूची कमांक - 3

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि विगत वर्ष में विश्वविद्यालयों में स्थापित सेल द्वारा किये गये कार्य की जानकारी आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत की जावे।

कार्यसूची कमांक - 2 : परिषद की गतिविधियों एवं उपलब्धियों की संक्षिप्त जानकारी।

परिषद की गतिविधियों के बारे में परिषद के महानिदेशक एवं कार्यकारी समिति के संयोजक द्वारा परिषद की गतिविधियों एवं भविष्य की कार्य योजना के संबंध में स्लाइडें के माध्यम से समिति को अवगत कराया गया। समिति सदस्यों द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गयेः-

- मशरूम प्रौद्योगिकी के संबंध में सुझाव दिया गया कि इस प्रौद्योगिकी की उपयोगिता तभी सफल मानी जावेगी जब यह प्रयोगशाला से निकलकर सरल रूप में जनसामान्य तक पहुँचे। यह भी आवश्यक है कि इसकी विपणन व्यवस्था सुनिश्चित की जावे अन्यथा मशरूम की खेती का समुचित लाभ जनसामान्य को नही मिल पायेगा। चूँकि मशरूम एक जैविक उत्पाद है जिसे एक निश्चित समय सीमा के अन्दर उपयोग कर लिया जाना चाहिये। अतएव पैकेजिंग एवं भण्डारण तकनीक पर भी विशेष ध्यान दिया जावे।

डॉ. आर.के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि.

- वर्तमान समय में जबकि रसायनिक कीटनाशकों के दुष्परिणाम सामने आ रहे है ऐसी स्थिति में जैव कीटनाशक का महत्व बहुत बढ़ गया है। आवश्यक है कि बायो पेस्टीसाइड के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी प्रभावी कार्यक्रम तैयार किये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता का उत्पाद बाजार में उपलब्ध कराया जा सके।
- जीवाणु खाद के संबंध में यह सुझाव दिया गया कि इस उत्पाद की शेल्फ लाइफ बढ़ाने हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित की जाये। चूँकि जीवाणु खाद एक जैविक उत्पाद है अतएव इसके समुचित उपयोग एवं रखरखाव संबंधी आवश्यक जानकारी जन-जागरण के माध्यम से कृषकों को दी जानी चाहिये, ताकि सही अर्थों में जीवाणु खाद का लाभ कृषकों को मिल सके।
- समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि आँवला का महत्व दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। अतएव उचित होगा कि आँवले की टिशु कल्चर प्रौद्योगिकी पर कार्य किया जावे।
- परिषद द्वारा ऐसे कार्यक्रम विकसित किये जाने चाहिये जिससे आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी जनसामान्य को जल्दी से जल्दी प्रभावी ढ़ग से उपलब्ध कराई जा सके, ताकि समय पर इसका सदुपयोग किया जा सके।
- सोयाबीन प्रदेश की एक मुख्य फसल है। इसकी अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने के लिये जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से बीज विकास के कार्यक्रम हाथ में लिये जाने चाहिये।
- देश एवं प्रदेश के वैज्ञानिकों को शासन की ओर से दिये जाने वाले पुरस्कारों की प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र पूरी की जाकर पुरस्कार घोषित किये जावे।
- परिषद की गतिविधियों की जानकारी प्रत्येक जिला प्रशासन को निरन्तर रूप से निश्चित समय अवधि में दी जाना आवश्यक है। परिषद द्वारा मनोनीत जिला वैज्ञानिक अधिकारी जिला योजना समिति की बैठक में निश्चित रूप से भाग लें। इस संबंध में जिलाध्यक्ष को आवश्यक सूचना दी जावे।
- दिनोदिन घटते हुए प्राकृतिक संसाधनों के कारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का महत्व बढ़ता जायेगा इसके लिए परिषद को आवश्यक तैयारियाँ करनी चाहिए।
- महाशीर मछली के संरक्षण हेतु उन्नत तकनीक जैसे कि शुक्राणु बैंक की स्थापना की जाना चाहिये एवं समय-समय पर उठाये गये कदमों की समीक्षा की जानी चाहिये।
- परिषद द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों में उपलब्ध शोध जरनल्स की सूची एकत्रित की जाये एवं शोध छात्रों को प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध जरनल्स की समग्र जानकारी उपलब्ध कराई जाये ताकि वे इसका लाभ उठा सके।

डॉ. आर.के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि. भोपाल

- चूँकि म.प्र. एक आदिवासी बहुल प्रदेश है अतएव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का लाभ विशेष रूप से आदिवासी समुदाय एवं महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिये। विशेष रूप से बड़वानी, धार एवं झाबुआ जिलों में वृहद पैमाने पर वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन का कार्यक्रम चलाया जाये।

- ग्रामीण अंचल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का लाभ दिलाने के उद्देश्य से आवश्यक होगा कि स्थानीय स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लीनिक खोले जाये, ताकि ग्रामीणों/कृषकों की समस्याओं का निदान स्थानीय स्तर पर ही किया जा सके। विशेष रूप से कृषि संबंधी जानकारीयाँ एवं समस्याओं का निदान क्लीनिक के माध्यम से किया जाये। इस व्यवस्था से आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का लाभ सुदूर अंचल में जनसामान्य को समय पर मिल सकेगा।

कार्यसूची क्रमांक 3 : परिषद के प्रस्तावित बजट प्रावधान वर्ष 2002-2003 का अनुमोदन।

समिति द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची क्रमांक 4 : मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल के वर्ष 2000-2001 के अंकेक्षित लेखों का अनुमोदन।

समिति द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची क्रमांक 5 : हिनौती जिला सीधी (म.प्र.) में पापुलर साइंस बुक कार्नर की स्थापना बाबत् ।

समिति द्वारा कार्यकारी समिति के अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही करने हेतु महानिदेशक को अधिकृत किया गया।

कार्यसूची क्रमांक 6 : परिषद के वैज्ञानिकों/अधिकारियों द्वारा अपना अन्वेषण पेटेन्ट करवाने पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार लाभ देने बाबत्।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर आगामी कार्यकारी समिति में प्रस्तुत की जावे।

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

कार्यसूची कमांक 7 : परिषद के निर्माणाधीन भवन में अतिरिक्त व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति व अतिरिक्त कार्यो को कराये जाने की सहमति।

समिति द्वारा परिषद के निर्माणाधीन भवन में प्रस्तावित अतिरिक्त व्यय के संबंध में निम्नानुसार समिति का गठन किया गया। समिति एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा–

प्रमुख सचिव,
म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
भोपाल

अपर सचिव,
म. प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
भोपाल

श्री सूरज शिवपुरी
अति. मुख्य अभियन्ता
म. प्र. विद्युत मण्डल,
भोपाल

वित्त विभाग का प्रतिनिधि

डॉ. पी. के. भट्ट,
म. प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद,
भोपाल

श्री व्ही. के. दुबे,
सहायक संचालक (लेखा),
म. प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद,
भोपाल

कार्यसूची कमांक 8 : परिषद् में खेल गतिविधियों हेतु रू. 25,000 के कोष की स्थापना।

समिति द्वारा कार्यकारी समिति के अध्यक्ष से अनुमति प्राप्तकर कार्यवाही करने हेतु महानिदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को अधिकृत किया गया है।

डॉ. आर. के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि.,भोपाल

र्यसूची क्रमांक 9 : 30 प्रतिशत पदो की समाप्ति।

मिति ने निर्देश दिया कि सर्वप्रथम परिषद का म. प्र. एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बीच विभाजन प्रस्ताव वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप तैयार करने के उपरान्त 30 तिशत पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। यह कार्यवाही एक माह के अन्दर र्ण की जावे।

ार्यसूची क्रमांक 10 : व्यवसायिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण।

मिति ने निर्देश दिये कि इस प्रशिक्षण पर आने वाले व्यय की जानकारी आगामी कार्यसमिति में प्रस्तुत की जावे।

ार्यसूची क्रमांक 11 : मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की आमसभा की पाँचवीं बैठक।

रिषद की पाँचवीं आमसभा की कार्यसूची सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

सम्मिति द्वारा निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति की आगामी बैठक माह जून-2002 के तीसरे अथवा चतुर्थ सप्ताह में आयोजित की जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यगणों का बैठक में उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया गया।

30/05/2002

(प्रो. एच. पी. गर्ग)
महानिदेशक एवं संयोजक कार्यकारी समिति

13.6.02

(बाला बच्चन)
अध्यक्ष, कार्यकारी समिति

डॉ. आर. के. सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौ.द्यो.परि., भोपाल